

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

राजकुमार

बनाम

फिरींग

तक

५५/२०२५

पत्रावली पत्र क्र. ६६-उमपस हाकर) के विरुद्ध उमपस
 उमपस के लाल काल में सहमति से प्राप्यित है। इसे काल
 कंपनी सहमति प्रदान की है तथा प्राप्यता-पत्र स्वगत
 में लाल काल में विवादात्मक है मॉडर्न रिपोर्ट के
 अध्यास्यार उमपस के रूप में जाने वाले काल उमपस
 को पाके जाने में कंपनी सहमति प्रदान की है। इस
 अधि उमपस के सहमति से प्राप्यता-पत्र प्रेषित की
 जाकर दिया जाता है तथा उमपस को जदिये का कार्य
 निषेधात्मक से पाके किया जाता है कि के विरुद्ध
 अधि क्र. १५३४/३३ वक्रा। १४ ई. १९८४ तक उमपस
 राधाकिशनपुरा लहरील वाकिज सीकर में
 भूमि पर लाल काल में मॉडर्न रिपोर्ट के अध्यास्यार
 के रूप में पत्रावली के लाल काल होकर नभ्या
 ले कम ही, साखिल्य देकर है। निर्वाप आज
 मेरहमाहर से लुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

६०।
७३।
७६।